



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या- 422 राँची, गुरुवार,

12 अगस्त, 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 जुलाई, 2021

संख्या-10/सी०बी०आई०-410/2021- 2715-- झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (1946 का अधिनियम संख्या-25) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धनबाद थाना (धनबाद) कांड संख्या-300/2021, दिनांक 28.07.2021, धारा-302 भा०द०वि० के अधीन दर्ज प्राथमिकी, किये गये दण्डनीय अपराध तथा उक्त अपराधों से संबंधित तथा उक्त संव्यवहार में किये गये किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

HOME, PRISON AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT**-----**
NOTIFICATION**30 July, 2021.**

No.-10/C.B.I.-410/2021- 2715-- In exercise of the powers conferred by Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police Establishment in the whole of State of Jharkhand for investigation into Dhanbad PS (Dhanbad District) Case No.-300/2021, dated- 28.07.2021 registered for committing offences u/s 302 of I.P.C. in connection with the said offences and any other offences in the aforesaid transaction.

By order of the Governor of Jharkhand,

Dhanesh Kumar,

Under Secretary of the Government.